न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

पीठासीन अधिकारी :– श्री बद्रीनारायण विश्नोई (RAS)

मुकदमा नम्बर :– 119/2024
दावा बाबत् :– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 Rt Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अमरदान पुत्र हमीरदान 2. निम्बदान पुत्र सरेदान 3. पपूबाई पत्नी जैकदान 4. मुरारदान पुत्र हमीरदान 5. राजूदान पुत्र जैकदान 6. राणीदान पुत्र जैकदान 7. लक्ष्मीदान पुत्र हमीरदान 8. श्रेणीदान पुत्र सरेदान 9. सगनबाई पत्नी सरेदान जाति चारण, निवासी ख़वाला, पनोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. उम्मेददान पुत्र मोडदान 2. दयालदान पुत्र मोडदान 3. अनेदान पुत्र मघदान 4. वीरदान पुत्र हरदान 5. कैलाशदान पुत्र बखतदान 6. सांवलदान पुत्र बखतदान जाति चारण, निवासी खवाला, पनोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 7. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा साता। 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :– वादीगण वकीलः– श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय

दिनांक : 27.10.2025

वादीगण का वाद संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी एवं मालिकाना अधिकार के खेत मौजा खवाला पटवार क्षेत्र पनोरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 574/321 रकबा 20.5904 हैक्टेयर का आया हुआ है, जो भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। वादीगण ने अपने खेत की पक्की नखमबंदी करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सेड़वा में आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया, जो राजस्व आवेदन संख्या 107/2023 अनवान अमरदान वगैरा बनाम भंवरदान वगैरा है। जिस पर न्यायालय श्री द्वारा वादीगण के आवेदन को स्वीकार कर वादीगण के खेत की पक्की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया गया। जिस क्रम में तहसीलदार सेड़वा के निर्देशानुसार आर आई व हल्का पटवारी ने दिनांक 01.07.2024 को मौका निरीक्षण एवं मौका की जमीन नापकर व सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नक्शा तैयार किया जिस पर वादीगण के खसरा संख्या 574/321 में पड़ौसी खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा मौका [illegible] 01.07.2024 में दर्शाये बरंग आसमानी रकबा 0.55 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] काला रकबा 0.04 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 03 का, बरंग लाल रकबा 0.18 हैक्टेयर [illegible] प्रतिवादी संख्या 04 का व बरंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:03:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

हरा रकबा 0.80 हैक्टैयर पर प्रतिवादी संख्या 05 व 06 का अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया है जो मौका नक्शा में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जो भूमि वादीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 574/321 में होना पाया गया, जिस पर राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को कब्जा हटाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने कब्जा नहीं हटाया तथा कब्जा हटाने से स्पष्ट मना कर दिया, जिस पर हल्का पटवारी व आर.आई ने वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का अवैध कब्जा हटाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की सलाह दी गई। जिस पर वादीगण के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकार की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इसलिये वादीगण संख्या 1 से 6 के अवैध कब्जे को हटवाने के अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि न तो प्रतिवादीगण के खातेदारी की है और न ही उनके कब्जा काश्त की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वादीगण के उक्त खेत खसरा संख्या 574/321 के सेढा पड़ौसी खातेदार है। जो बहुत ही बदमाश एवं झगड़ालू प्रवृति के तथा धनिक तथा बलशाली व्यक्ति है तथा राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है जो संख्या बल में भी अधिक है तथा उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने अपने प्रभाव एवं धनबल के आधार पर वादीगण के उक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 574/321 में शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की भूमि में से कुछ भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है जो रकबा की जमीन न तो प्रतिवादीगण के खातेदारी की है एवं न ही कब्जा काश्त की है। मात्र प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव तथा धन बल के आधार पर वादीगण के शांतिप्रिय व्यक्ति होने व उनके गरीबी का फायदा उठाकर वादीगण की जमीन को हड़पने के लिए उस पर जबरन कब्जा कर लिया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को ऐसा करने कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिये वादीगण अपने उक्त भूमि पर जो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने जबरन कब्जा कर रखा है। उस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 धनबल एवं राजनैतिक रूप से प्रभावशाली होने से कब्जा हटाने में आना कानी कर रहे है इसलिये यह वाद बेदखली एवं वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का जबरन कब्जा किया हुआ होने से उन्हें बेदखल करवाकर कब्जा वादीगण प्राप्त करने हेतु यह वाद लाया गया है। वादीगण के उक्त शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त की खातेदारी की जमीन में से जिस भू–भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा जबरन एवं अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है जिसको इस वाद के जरिये बेदखल कर कब्जा नहीं हटवाया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का कब्जा दिनोदिन पक्का व पुख्ता हो जावेगा, जिसको भविष्य में हटवाने के लिए भारी आर्थिक व मानसिक क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में कभी पूर्ण नहीं कर सकेगे व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 जबरन व धनबल के आधार पर वादीगण की खातेदारी व कब्जासुदा भूमि को हड़प [illegible] जिससे वादीगण को उक्त वाद आदि प्रस्तुत करने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, इसलिये वा[illegible]स में एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषे[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:03:30 IST
Reason: SelfAttested

सेड़वा
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

वादीगण के उक्त खातेदारी की भूमि में से कब्जा हटवाने के बाद वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई किसी प्रकार की दंखलअन्दाजी न तो स्वयं ही करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें तथा न ही जबरन जमीन हड़पने के लिए बल का प्रयोग करें, जिसे यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 जब वादीगण द्वारा अपने खातेदारी की भूमि की नेखमबंदी का आदेश करवाकर वादीगण के खेत की भूमि की पैमाईश की गई तथा दौराने पैमाईश वादीगण के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 574/321 पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का कुछ भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने कब्जा हटाने से मना कर दिया और प्रतिवादी संख्या 1 से 6 कब्जा पुख्ता करने के लिये तैयार हो गये, जब तक मुकाम खवाला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में वाद कारण पैदा हुआ। वादीगण के खातेदारी की भूमि मौजा खवाला पटवार क्षेत्र पनोरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 574/321 रकबा 20.5904 हैक्टैयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है, जो नेखमबंदी प्रकरण संख्या 107/2023 की मौका फर्द में बरंग आसमानी, काला, लाल व हरा से दर्शाया गये अवैध कब्जे से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को बेदखल कर उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाया जावें। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त की जमीन में न तो स्वयं व न ही किसी अन्य से किसी प्रकार की दंखलअन्दाजी पैदा नहीं करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजि0 एडी से तलब किये गये जिस की और से कोई उपस्थित नहीं हुए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त होने के बावजुद कोई उप. नही हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादीगण वकील द्वारा वादी साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 अमरदान पुत्र हमीरदान जाति चारण निवासी खवाला , PW-2 लक्ष्मीदान पुत्र हमीरदान जाति चारण निवासी खवाला, PW-3, राणीदान पुत्र जैकदान जाति चारण निवासी खवाला PW-4 मुरारदान पुत्र हमीरदान जाति चारण, निवासी खवाला PW-5, श्रेणीदान पुत्र सरेदान जाति चारण निवासी खवाला का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श ई. एक्स.पी. 01 जमाबंदी मौजा खवाला के खसरा संख्या 574/321 रकबा 20.5904 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम तथा प्रदर्श ई.एक्स.पी. 02 नेखमबंदी रिपोर्ट दिनांक 01.07.2024 मौजा खवाला के खसरा संख्या 574/321 रकबा 20.5904 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मय नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित (Exhibit) करवाये।

<u>वकील वादीगण उपस्थित। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों का आद्योपांत अवलोकन किया गया उपरान्त वादीगण वकील की</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:03:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

विस्तार पूर्वक बहस सुनी गई। वकील वादीगण की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन–मनन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का.अधि. 1955 आंशिक स्वीकार योग्य है। अस्तु, वादीगण का वाद आंशिक रूप से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सेड़वा की नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 01.07.2024 में वर्णित/दर्शित अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा खवाला पटवार क्षैत्र पनोरिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा नम्बर 574/321 रकबा 20.5904 हैक्टैयर किस्म बारानी सोयम भूमि पर बरंग आसमानी रकबा 0.55 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का, बरंग काला रकबा 0.04 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 03 का, बरंग लाल रकबा 0.18 हैक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या 04 का व बरंग हरा रकबा 0.80 हैक्टैयर पर प्रतिवादी संख्या 05 व 06 का वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण को जबरन अवैधानिक रूप से किए गए कब्जे से भौतिक रूप से बेदखली कर वादीगण को कब्जा सुपूर्द किए जाने का आदेश तहसीलदार सेड़वा को दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी पालना रिपोट(प्रदर्श 02) दिनांक 01.07.2024 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। अस्तु, इस आशय की तहरीर तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को खुले न्यायालय/सरे इजलास में सुनाया गया।

27.10.2025

(बद्रीनारायण विश्नोई)
(R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:03:30 IST
Reason: SelfAttested